



शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
MINISTRY OF EDUCATION
Department of School Education & Literacy



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) के लिए दिशा-निर्देश



स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(मई 2026)

अप्रैल 2026
चैत्र 1948

PD 1H BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 2026

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा
प्रकाशित तथा नारायण प्रिंटेर्स एंड बाइंडर्स, डी-177-178, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.) 201 301 द्वारा मुद्रित।



शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
MINISTRY OF EDUCATION
Department of School Education & Literacy



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) के लिए दिशा-निर्देश

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(मई 2026)



संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति (एस एम सी) दिशा-निर्देश, 2026 जारी किए जा रहे हैं। ये दिशा-निर्देश समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने, सहभागी विद्यालय विकास योजना को सशक्त बनाने तथा विद्यालयों, अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य विभागों एवं समुदाय के बीच सहयोग एवं समन्वय को सुदृढ़ करने में एस एम सी की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 शिक्षा को सरकार, विद्यालयों, अभिभावकों एवं समुदाय की साझा जिम्मेदारी के रूप में मान्यता देती है। एनईपी-2020 यह रेखांकित करती है कि विद्यार्थियों के अधिगम, कल्याण तथा विद्यालय की जवाबदेही में सुधार लाने के लिए—विशेष रूप से वंचित एवं कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के बच्चों के संदर्भ में—अभिभावकों एवं समुदाय की सार्थक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सशक्त एवं प्रभावी रूप से कार्यरत विद्यालय प्रबंधन समितियाँ (एस एम सी) समावेशी, सहयोगात्मक एवं प्रभावी अधिगम परिवेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 के विजन में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में तथा जनभागीदारी को शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित किया गया है। एक सशक्त, समावेशी एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव है, जब प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और समुदाय अपने विद्यालयों के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से सहभागी बने।

इस परिप्रेक्ष्य में, विद्यालय प्रबंधन समितियाँ (एस एम सी) जमीनी स्तर पर विद्यालय शिक्षा को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाकर, एस एम सी, विद्यालयों को अधिगम परिणामों में सुधार, जवाबदेही सुनिश्चित करने और समानता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती हैं। विद्यालय योजना और निर्णय-निर्माण में उनकी सहभागिता विद्यालयों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है और समुदाय के भीतर स्वामित्व एवं विश्वास की भावना को मजबूत करती है।

विकसित भारत @2047 की यात्रा सक्षम, आत्मविश्वासी और उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण पर निर्भर करती है। सशक्त विद्यालय, जो सक्रिय और सशक्त एस एम सी द्वारा समर्थित हों, इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधारभूत हैं। जमीनी स्तर पर विद्यालय शासन को सुदृढ़ करके हम अपने बच्चों के भविष्य और भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिशा-निर्देश देशभर में प्रभावी विद्यालय शासन के लिए एक सशक्त और भविष्योन्मुख ढांचा प्रदान करेंगे और प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं समग्र शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

(धर्मेन्द्र प्रधान)

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

जयन्त चौधरी
JAYANT CHAUDHARY



कौशल विकास और उद्यमशीलता
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं
शिक्षा राज्य मंत्री
भारत सरकार

Minister of State (Independent Charge) for
Skill Development and Entrepreneurship
and Minister of State for Education
Government of India



संदेश

शिक्षा राष्ट्रीय विकास का केंद्र बिन्दु है, और सामुदायिक भागीदारी इसकी सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। एक समावेशी और भविष्योन्मुखी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे विद्यालयों का समुदायों से जुड़ा होना जरूरी है। समुदाय का सक्रिय सहयोग विद्यालयों को मजबूत और जीवंत बनाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 विद्यालयों को ऐसी जीवंत संस्थाओं के रूप में देखती है जहाँ अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय हितधारक मिलकर समग्र विकास, बेहतर अधिगम परिणामों और प्रत्येक बच्चे की भलाई सुनिश्चित करते हैं। इस दृष्टिकोण के केंद्र में विद्यालय प्रबंधन समितियाँ (SMCs) हैं, जो सामुदायिक भागीदारी, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक कार्रवाई के लिए जमीनी स्तर के मंच का निर्माण करती हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति दिशानिर्देश, 2026 इस ढाँचे को और सुदृढ़ करते हैं। ये दिशानिर्देश SMCs को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इनके अंतर्गत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है, समावेशी और लैंगिक संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है तथा क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है ताकि SMCs विद्यालय प्रशासन और छात्र परिणामों में सार्थक योगदान दे सकें।

जब समुदाय अपने विद्यालयों का स्वामित्व लेते हैं, तो बच्चों को सबसे अधिक लाभ होता है। सशक्त SMCs साझेदारी और विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देंगी। हर बच्चे की सफलता के प्रति यह साझी प्रतिबद्धता NEP 2020 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत एवं समग्र शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी।


(जयन्त चौधरी)

संजय कुमार, भा.प्र.से
सचिव

Sanjay Kumar, IAS
Secretary



स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
Department of School Education & Literacy
Ministry of Education
Government of India



संदेश

शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, एक सामाजिक एवं सामुदायिक अवधारणा है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शिक्षा को एक साझा सामाजिक उत्तरदायित्व मानती है। यह नीति विद्यालय शिक्षा में विकेंद्रीकृत शासन, समुदाय की सक्रिय सहभागिता और अभिभावकों की भागीदारी पर विशेष जोर देती है। एनईपी 2020 यह मानती है कि विद्यालय तभी अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकते हैं, जब वे अपने समुदायों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हों और स्थानीय हितधारक प्रत्येक बच्चे की मानसिक वृद्धि एवं विकास में सामूहिक योगदान दें।

इस परिप्रेक्ष्य में, विद्यालय प्रबंधन समितियाँ स्थानीय विद्यालय शासन को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विद्यालय स्तर पर एक सामाजिक संस्था के रूप में, एस एम सी अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को एक साथ सम्मिलित कर विद्यालयों का समर्थन करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। उनकी सक्रिय सहभागिता प्रभावी विद्यालय योजना, संसाधनों के बेहतर उपयोग, अधिगम परिणामों में सुधार और विद्यार्थियों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। सशक्त और प्रभावी एस एम सी यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय समावेशी, उत्तरदायी और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।

एस एम सी एक सहयोगात्मक अधिगम वातावरण को बढ़ावा देने, समानता सुनिश्चित करने और अभिभावकों तथा समुदाय—विशेषकर वंचित वर्गों की आवाज़ को विद्यालय निर्णय-निर्माण में सार्थक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही ये विद्यालय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा-निर्देश, 2026 इसी दृष्टि को व्यवहार में उतारने एवं कुशल विद्यालय प्रबंधन के लिए विकसित किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने, सहभागी विद्यालय विकास योजना को प्रोत्साहित करने और विद्यालयों, परिवारों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा व्यापक समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये दिशा-निर्देश सभी हितधारक परामर्श, समग्र शिक्षा, पूर्व सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के दिशा-निर्देशों और नियमावली को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसके लागू होने से पूर्व सभी निर्देशों को अवक्रमित माना जाये।

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत @2047 की ओर बढ़ रहा है, सशक्त सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सक्रिय और सशक्त एस एम सी द्वारा समर्थित गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा सूचित, कुशल और उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिशा-निर्देश राज्यों और विद्यालयों को प्रभावी और सहभागी एस एम सी के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम, कल्याण और विकसित भारत के दीर्घकालिक विजन में सार्थक योगदान देंगे।


(संजय कुमार)

Room No - 21102, 1st floor, Office of Secretary DoSEL, Gate number 04, Kartavya Bhawan-2, New Delhi-110001

E-mail : secy.sel@nic.in

प्राक्कथन

विद्यालयी शिक्षा एक समतामूलक, समावेशी एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण की आधारशिला है। विद्यालयों की गुणवत्ता केवल नीतिगत प्रावधानों और उपलब्ध संसाधनों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि समुदाय की सक्रिय, निरंतर एवं सार्थक सहभागिता से भी गहराई से जुड़ी होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में, शैक्षिक सुधारों में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, सामुदायिक सहभागिता तथा बच्चों के अधिगम एवं समग्र कल्याण के लिए साझा उत्तरदायित्व को निरंतर प्राथमिकता दी गई है। इस दृष्टि को जमीनी स्तर पर साकार करने में विद्यालय प्रबंधन समितियाँ (एस एम सी) एक प्रमुख एवं सशक्त संस्थागत व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 विद्यालयी शिक्षा में विकेंद्रीकृत शासन तथा अभिभावकों, स्थानीय समुदायों, पूर्व छात्रों और अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता पर विशेष बल देती है। यह नीति विद्यालयों को अधिगम के सजीव केंद्र के रूप में मान्यता देती है, जो अपने समुदायों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। एनईपी 2020 अधिगम परिणामों में सुधार, समावेशन को बढ़ावा देने तथा विद्यालयों के समग्र संचालन को सुदृढ़ करने के लिए साझा उत्तरदायित्व, सामुदायिक स्वामित्व और सहभागी निर्णय-निर्माण के महत्व को रेखांकित करती है। यद्यपि समग्र शिक्षा (समग्र शिक्षा अभियान) के अंतर्गत तथा बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस एम सी) से संबंधित प्रावधान विद्यमान हैं, तथापि वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में एस एम सी की संरचना, कार्यप्रणाली तथा उनकी पूर्ण संभावनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु एक व्यापक, एकीकृत एवं अद्यतन राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में, ये **विद्यालय प्रबंधन समितियाँ हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश** विकसित किए गए हैं, जो विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू एक समेकित राष्ट्रीय मार्गदर्शन के रूप में एस एम सी पर केंद्रित हैं।

ये दिशा-निर्देश इस विषय पर पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों का स्थान लेते हुए विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस एम सी) को सहभागी शासन के सशक्त एवं सक्रिय मंच के रूप में सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखते हैं। इन दिशा-निर्देशों में एस एम सी की संरचना, गठन, कार्यकाल, निर्वाचन प्रक्रिया, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों, एस एम सी सदस्यों की क्षमता निर्माण तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) सहयोग प्राप्त करने से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। दिशा-निर्देशों में शैक्षणिक पर्यवेक्षण, विद्यालय विकास योजना (स्कूल डेवलपमेंट प्लान-एसडीपी) के माध्यम से विद्यालय योजना, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक अंकेक्षण, बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण, समावेशी एवं समानतापूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने, तथा संपूर्ण-सरकार (Whole-of-Government) दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न लाइन विभागों के साथ अभिसरण एवं समन्वय से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों (आउट-ऑफ-स्कूल चिल्ड्रन), ड्रॉपआउट बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं मुख्यधारा में पुनः समावेशन सुनिश्चित करने, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को समर्थन प्रदान करने, तथा आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमैरीसी) को सुदृढ़ करने में एस एम सी की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। उपरोक्त सभी प्रयास सामूहिक रूप से विद्यार्थियों में वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति में सहायक होंगे, जो **विकसित भारत @2047** के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ये दिशा-निर्देश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मार्गदर्शक संदर्भ ढाँचे के रूप में अभिप्रेत हैं, ताकि वे स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने नियमों, प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं में समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर सकें। अंततः इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य समुदायों को विद्यालयों के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु सशक्त बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, समावेशी एवं पोषणकारी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, सतत प्रगति करे तथा अपनी विद्यालयी शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करे।



(अर्चना शर्मा अवस्थी)

अपर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय

विषय-सूची

1. प्रस्तावना	1
2. विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee – एस.एम.सी.)	1
2.1 विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के चयन के मानदंड	2
2.2 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना	3
2.3 सदस्य-सचिव के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ	3
2.4 कार्यकाल	4
2.5 एस.एम.सी. के अभिभावक/संरक्षक सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया	4
2.6 विद्यालय प्रबंधन समिति की उप-समितियाँ	5
3. विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ/कार्य	6
4. विद्यालय विकास योजना (School Development Plan – एस.डी.पी.)	13
5. बैठकें एवं प्रक्रियाएँ	15
6. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	15
7. वित्तीय प्रबंधन एवं सामाजिक लेखा परीक्षण	16
8. मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण (Convergence) के माध्यम से संसाधनों का उपयोग	18
9. विद्यालय प्रबंधन समिति की निगरानी एवं सहयोग	20
10. निष्कर्ष	20
परिशिष्ट	22

1. प्रस्तावना

1.1 समुदाय सक्रियता और सहभागिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपनी प्राथमिकताओं, संसाधनों, आवश्यकताओं और समाधानों की पहचान में शामिल होता है, ताकि भागीदारी, सुशासन, जवाबदेही और शांतिपूर्ण परिवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा के संदर्भ में, सामुदायिक सक्रियता और समुदाय के सदस्यों की निकट सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण एक जमीनी स्तर की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावी योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन और समुदाय द्वारा स्वामित्व सुनिश्चित होता है। सक्रिय सामुदायिक सहभागिता पारदर्शिता, जवाबदेही और विद्यालयों के सुचारु संचालन के लिए सामूहिक सामुदायिक ज्ञान के उपयोग को सुनिश्चित करती है। प्रभावी विकेंद्रीकरण के माध्यम से यह विद्यालय-आधारित पहलों में समुदाय के स्वामित्व को सुनिश्चित करता है, शासन संरचनाओं को सुदृढ़ बनाता है और सतत शैक्षिक विकास को समर्थन देता है।

1.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.), 2020 स्थानीय समुदायों, पूर्व विद्यार्थियों (अलुमनी) और वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है, ताकि विद्यालयों में सीखने की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा सके। नीति के अनुच्छेद 3.7 के अनुसार, ये हितधारक ट्यूटोरिंग, साक्षरता अभियान, मार्गदर्शन, शिक्षण सहायता और परामर्श जैसी गतिविधियों में स्वयंसेवा करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। एन.ई.पी. 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, विद्यालयों को ऐसे जीवंत केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जहाँ शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता एक साथ समाहित हों। अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी विद्यालयों में समावेशी, सहयोगी और गर्वपूर्ण वातावरण निर्मित करती है। इस प्रकार, प्रत्येक विद्यालय न केवल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का केंद्र बन सकता है, बल्कि पूरे समुदाय को एकीकृत करने वाला सामाजिक केंद्र भी बन सकता है।

1.3 समग्र शिक्षा 2.0 फ्रेमवर्क (जारी : 12 अक्टूबर, 2022) के 'अध्याय 13 : सामुदायिक सक्रियता' में विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) की संरचना, कार्यप्रणाली एवं भूमिकाएँ विस्तार से वर्णित हैं। एस.एम.सी., जो विद्यालय स्तर पर कार्यरत एक प्रमुख समिति है, समग्र शिक्षा योजना और शिक्षा विभाग की अन्य पहलों के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाती है।

1.4 बाल अधिकार शिक्षा (मुफ्त और अनिवार्य) अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई. अधिनियम, 2009) के अध्याय IV: स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ, अनुभाग (21) में विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना एवं कार्यों का विवरण दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee – एस.एम.सी.)

विद्यालय शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाने हेतु, एन.ई.पी. 2020, समग्र शिक्षा योजना और बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम, 2009 में विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन को विकेंद्रीकृत शासन का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति, सामुदायिक सक्रियता के स्तंभ के रूप में, विद्यालयों में विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करती हैं और समुदायों को शिक्षा की गुणवत्ता, सुधार और निर्णय-निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की क्षमता प्रदान करती हैं। एन.ई.पी. 2020, समग्र शिक्षा योजना, आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 तथा शिक्षा मंत्रालय (पूर्व मानव संसाधन विकास

मंत्रालय) के पूर्व दिशा-निर्देश—जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एस.एम.ए.) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)—के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एस.एम.सी. के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये दिशा-निर्देश पूर्व में जारी सभी निर्देशों और मार्गदर्शिकाओं को प्रतिस्थापित करेंगे।

ये दिशा-निर्देश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) के लिए एक संदर्भ रूपरेखा के रूप में कार्य करेंगे, ताकि विद्यालय स्तर पर शासन तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके और स्थानीय नियमों और प्रक्रियाओं को समावेशी, सहभागिता-प्रधान और जवाबदेह शिक्षा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके।

- ◆ प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के भीतर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य है।
- ◆ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि सभी विद्यालयों में एस.एम.सी. का गठन किया जाए, जिसमें माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 12 तक) भी शामिल हों और इसे विद्यालय प्रबंधन विकास समिति (एस.एम.डी.सी.) की जगह लागू किया जाए।
- ◆ विद्यालय प्रबंधन समिति में शामिल होंगे : विद्यार्थियों के अभिभावक/संरक्षक, स्थानीय प्राधिकरण¹ का प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ, विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी और वंचित समूहों के प्रतिनिधि, इत्यादि।
- ◆ समिति के सदस्यों की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जा सकती है—

नामांकन सीमा	सदस्यों की अनुमानित संख्या
अधिकतम 100 विद्यार्थी	12 – 15 सदस्य
100 – 500 विद्यार्थी	15 – 20 सदस्य
500 से अधिक विद्यार्थी	20 – 25 सदस्य

2.1 विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के चयन के मानदंड

- i. एस.एम.सी. की कुल सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत (75%) बच्चों के अभिभावक या संरक्षक में से होना चाहिए।
- ii. शेष पच्चीस प्रतिशत (25%) सदस्य निम्नलिखित व्यक्तियों में से चुने जाएँगे—
 - (क) एक-तिहाई (1/3) सदस्य स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्यों में से, जिन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुना जाएगा।
 - (ख) एक-तिहाई (1/3) सदस्य विद्यालय के शिक्षकों में से, जिन्हें विद्यालय के शिक्षकों द्वारा चुना जाएगा।
 - (ग) शेष एक-तिहाई (1/3) सदस्य स्थानीय शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ, अकादमिक, वरिष्ठ एवं पूर्व विद्यार्थी और समुदाय के अग्रिम कार्यकर्ता जैसे— आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW), आशा कार्यकर्ता (ASHA) और सहायक नर्स मिडवाइफ़ (ANM) जो विद्यालय के

¹ “स्थानीय प्राधिकरण” का तात्पर्य किसी भी नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत या पंचायत से है, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। इसमें वह अन्य प्राधिकरण या निकाय भी शामिल है, जो किसी विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता हो या जिसे वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत किसी शहर, कस्बे या ग्राम में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो।

आसपास कार्यरत हों— में से चुने जाएँगे। इन सदस्यों का चयन समिति के अभिभावक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।

नोट :

- ◆ समिति की कुल सदस्य संख्या का पचास प्रतिशत (50%) महिला सदस्य होना अनिवार्य है।
- ◆ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEDCs), जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि, तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के अभिभावकों/संरक्षकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

2.2 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना

प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—

1.	माता-पिता/अभिभावक (निर्वाचित सदस्य)	अध्यक्ष
2.	माता-पिता/अभिभावक (निर्वाचित सदस्य)	उपाध्यक्ष
3.	विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक	सदस्य
4.	स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्य	सदस्य
5.	विद्यालय के शिक्षक	सदस्य
6.	स्थानीय शिक्षा विशेषज्ञ/विषय विशेषज्ञ/शैक्षणिक विशेषज्ञ/विद्यालय के विद्यार्थी एवं पूर्व विद्यार्थी/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)/मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA)/सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM)	सदस्य
7.	प्राचार्य/प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रभारी	सदस्य सचिव

2.3 सदस्य-सचिव के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

सदस्य-सचिव के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे—

- i. शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के भीतर एस.एम.सी. के गठन को सुनिश्चित करना।
- ii. सदस्यों के चयन के लिए वार्षिक आम बैठक का समय पर आयोजन करना, जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों/संरक्षकों के बीच चुनाव द्वारा सदस्य चुने जाएँ। (चुनाव के समय 50% अभिभावकों/संरक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।)
- iii. नवनिर्मित एस.एम.सी. सदस्यों का पूरा विवरण विद्यालय में प्रमुख स्थानों पर गठन के एक सप्ताह के भीतर प्रदर्शित करना। इसमें अभिभावक/सदस्यों के नाम, पद, संपर्क संख्या, ई-मेल आई.डी. आदि शामिल होंगे। अभिभावक/संरक्षक के लिए, बच्चे का नाम और कक्षा भी उल्लेखित किया जाएगा।
- iv. एस.एम.सी. की बैठकें माह में कम से कम एक बार आयोजित करना।
- v. बैठक में एस.एम.सी. का न्यूनतम कोरम (50%) सुनिश्चित करना।
- vi. एस.एम.सी. बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची तैयार करना।
- vii. एस.एम.सी. विवरण, बैठक नोटिस, उपस्थित सदस्यों की सूची, एजेंडा और बैठक के मिनट्स आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए नियमों के अनुसार रजिस्टर बनाए रखना।

- viii. बैठक के **मिनट्स और निर्णयों** को सही ढंग से रिकॉर्ड करना और सभी सदस्यों एवं जनता के लिए उपलब्ध कराना।
- ix. एस.एम.सी. के गठन के एक महीने के भीतर सदस्यों के **क्षमता निर्माण (capacity building) प्रशिक्षण** को सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ समय-समय पर आयोजित की जा सकती हैं।
- x. **विद्यालय रिपोर्ट कार्ड (School Report Card)**, जो UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) पोर्टल पर उपलब्ध है, को विद्यालय में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना और इसे एस.एम.सी. की पहली बैठक में सदस्यों को उपलब्ध कराना।
- xi. जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा एस.एम.सी. बैठकों, सदस्य संरचना, अभिभावकों/संरक्षकों से चुनाव, नामित सदस्यों के शामिल होने आदि के संबंध में जारी आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- xii. प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी जिम्मेदारी का पालन करना।

2.4 कार्यकाल

एस.एम.सी. सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। समिति अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी तब तक जारी रह सकती है जब तक नई समिति का गठन नहीं हो जाता। नई समिति के गठन की प्रक्रिया समिति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले आरंभ करना वांछनीय है, ताकि समिति में कोई अंतराल न आए। किसी सदस्य को एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक कार्य नहीं कर सकता, सिवाय सदस्य-सचिव के।

- i. एस.एम.सी. सदस्य का कार्यकाल निम्न परिस्थितियों में समाप्त किया जाएगा—
 - (क) यदि अभिभावक/संरक्षक सदस्य के बच्चे ने विद्यालय छोड़ दिया।
 - (ख) किसी सदस्य का किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से दोषसिद्धि/सजा होना।
 - (ग) सदस्य का ब्लॉक/जिले से प्रवासना।
 - (घ) सदस्य का आकस्मिक निधन।
 - (ङ) यदि कोई सदस्य लगातार चार बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहता है।
- ii. उपरोक्त (I) में उल्लिखित किसी भी कारण से उत्पन्न अंतरिम रिक्त स्थान को लागू करने वाले प्राधिकारी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।

2.5 एस.एम.सी. के अभिभावक/संरक्षक सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया

समिति के अभिभावक/संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन लोकतांत्रिक, पारदर्शी और समावेशी तरीके से किया जाएगा, ताकि विद्यालय प्रशासन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को अपने नियमों या आदेशों के अनुसार सदस्य निर्वाचन और नामांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुमति है। नीचे दी गई प्रक्रिया केवल सुझावात्मक है—

- i. शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, प्रधानाध्यापक निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करेंगे और सभी अभिभावकों/संरक्षकों को नोटिस जारी करेंगे, जिसमें निर्वाचन की अनुसूची और प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाएगी, जैसा कि संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मानदंडों में निर्दिष्ट है।
- ii. प्रत्येक नामांकित विद्यार्थी का केवल एक अभिभावक/संरक्षक ही निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र होगा।
- iii. अभिभावक/संरक्षक स्वयं या विद्यालय समुदाय के अन्य योग्य एवं इच्छुक अभिभावकों/संरक्षकों को नामांकित कर सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEDGs), विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के अभिभावकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और विद्यालय की सभी कक्षाओं से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- iv. यदि उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित सीटों से अधिक हो, तो हाथ उठाकर या आवाज द्वारा मतदान किया जाएगा। किसी विवाद या असमाधान स्थिति में गोपनीय मतपत्र (secret ballot) के माध्यम से मतदान किया जा सकता है।
- v. मतदान के समय 50 प्रतिशत न्यूनतम कोरम (नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावक/संरक्षक) की उपस्थिति आवश्यक है।
- vi. निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु इसे किसी नामित शिक्षा अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है।
- vii. निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने पर, सभी निर्वाचित अभिभावक/संरक्षक सदस्यों के नाम प्रधानाध्यापक द्वारा आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाएंगे।

एस.एम.सी. के गठन के पश्चात, नई समिति की पहली बैठक अगले कार्यदिवस या अधिकतम एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जा सकती है। पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

2.6 विद्यालय प्रबंधन समिति की उप-समितियाँ

समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव आवश्यकता अनुसार समिति के सदस्यों में से उप-समितियाँ गठित कर सकते हैं, ताकि समिति का संचालन प्रभावी ढंग से हो। समिति को निम्नलिखित दो उप-समितियों से सहायता प्राप्त हो सकती है—

- (क) **विद्यालय भवन समिति** : विद्यालय के निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत और रख-रखाव से संबंधित सभी कार्यों की योजना, अनुमान, प्रबंधन, निगरानी, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा बनाए रखने का दायित्व विद्यालय भवन समिति का होगा। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय की सुविधाएँ सुरक्षित, बाल-केंद्रित और लिंग-संवेदनशील हों, सभी के लिए सुगम्य हों, निर्धारित वित्तीय और तकनीकी मानकों का पालन करें और सभी निर्माण कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि एक सुरक्षित, समावेशी और सीखने के अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके।
- (ख) **शैक्षणिक समिति** : सभी शैक्षणिक गतिविधियों जैसे योजना, प्रबंधन, निगरानी, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, और UDISE+ के लिए डाटा संग्रह आदि का संचालन करने का दायित्व शैक्षणिक

समिति का होगा। यह समिति शिक्षा की गुणवत्ता और समानता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करेगी, जिसमें सामाजिक-आर्थिक, लिंग और विकलांगता संबंधित बाधाओं का समाधान, शिक्षक और विद्यार्थी की उपस्थिति की निगरानी, मार्गदर्शन और परामर्श का समर्थन, विद्यार्थी उपलब्धियों की ट्रैकिंग, समृद्धि और विकासात्मक अधिगम गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के समग्र शैक्षणिक, सामाजिक और व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। इन जिम्मेदारियों के माध्यम से यह समिति विद्यार्थी उपलब्धियों और विद्यालय के शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र की कुल शैक्षणिक स्वास्थ्य की प्रमुख संरक्षक के रूप में कार्य करती है।

3. विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ/कार्य

विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय संचालन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख कार्यों में विद्यालय के समग्र कार्यों की निगरानी और शैक्षणिक योजनाओं, जैसे— समग्र शिक्षा योजना, पीएम श्री (PM SHRI) और पीएम पोषण (PM Poshan)— के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन की देख-रेख शामिल है। एस.एम.सी. का दायित्व है कि वह विद्यालय विकास योजना (School Development Plan – एस.डी.पी.) तैयार करे और सिफारिश करे, जिसमें विद्यालय के अवसंरचना संबंधी अंतर, उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण और विद्यालय की विशेष आवश्यकताओं की पहचान की जाए। एस.एम.सी. सी.एस.आर. (CSR) योगदान/दान जुटाने के माध्यम से विद्यालय अवसंरचना के उन्नयन की पहल करेगा। यह सरकारी अनुदान, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य स्रोतों से प्राप्त धन के उपयोग की निगरानी भी करेगा, साथ ही अभिभावक और समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देकर विद्यालय और समुदाय के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाएगा। विद्यालय की आवश्यकताओं की पहचान और कार्यान्वयन योग्य योजनाएँ तैयार करने के माध्यम से एस.एम.सी. विद्यालय, समुदाय और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच तालमेल स्थापित करती है, जिससे एक समावेशी, सुरक्षित और संसाधन-संपन्न सीखने का वातावरण निर्मित होता है। इस प्रकार एस.एम.सी. सदस्यों की प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्न क्षेत्रों में शामिल हो सकती हैं—



- i. सभी विद्यार्थियों के लिए नामांकन, निरंतर उपस्थिति और समावेशी शिक्षण अवसर सुनिश्चित करना : समिति के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन और नियमित उपस्थिति हो, विशेषकर उन विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEDCs) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) से संबंधित हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में कोई भेदभाव या बाधा न आए। समिति को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय में किसी भी बच्चे के साथ उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या शोषण की कोई घटना

न हो। ऐसी किसी भी घटना की तत्काल रिपोर्टिंग संबंधित प्राधिकरणों को की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) की पहचान में विद्यालय की सहायता करनी होगी, इसके लिए PRASHAST ऐप और अन्य उपयुक्त विधियों का उपयोग किया जा सकता है और उन्हें सभी शैक्षणिक एवं सह-पाठ्य गतिविधियों में समावेशित किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

- ii. **ड्रॉप-आउट और विद्यालय से बाहर बच्चों (OoSC) को मुख्यधारा में लाने के लिए नामांकन अभियान :** विद्यालय रिकॉर्ड और सामुदायिक डेटाबेस के आधार पर, समिति के सदस्यों को विद्यालय से बाहर और ड्रॉप-आउट बच्चों की पहचान में सहायता करनी चाहिए और विद्यालय स्टाफ के साथ मिलकर उन्हें आयु-उपयुक्त कक्षाओं में मुख्यधारा में लाने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, जैसे— घर-घर अभियान, अभिभावकों और बच्चों को परामर्श देना, स्थानीय मीडिया और सामुदायिक रेडियो, ग्राम सभाएँ और अन्य सामुदायिक मंच। सभी प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाने चाहिए कि कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करने और पूरा करने में पीछे न रह जाए। एस.एम.सी. को विद्यालयों की सहायता करनी चाहिए ताकि विद्यालय से बाहर के बच्चों का डेटाबेस अद्यतन रखा जा सके और बच्चों के प्री-प्राइमरी आधारभूत स्तर (बालवाटिका/आँगनवाड़ी) से कक्षा 1, आधारभूत स्तर से प्रारंभिक स्तर (कक्षा 2–3), प्रारंभिक स्तर से मध्यम स्तर (कक्षा 5–6) और मध्यम स्तर से माध्यमिक स्तर (कक्षा 8–9) में संक्रमण का सही आँकड़ा रखा जा सके।
- iii. **विद्यार्थी के अधिकारों का समय पर वितरण सुनिश्चित करना :** एस.एम.सी. के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, छात्रवृत्ति, भत्ता और अन्य प्रावधान समय पर उपलब्ध कराए जाएँ।
- iv. **अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) में सहयोग :** एस.एम.सी., विद्यालयों को नियमित अभिभावक-शिक्षक बैठकों (PTMs) के आयोजन और संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। इन बैठकों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों, जैसे— खेल, स्वास्थ्य, कला, आचार-व्यवहार, फिटनेस आदि में प्रगति की जानकारी अभिभावकों/अभिभावक संरक्षकों के साथ साझा की जाएगी। अभिभावक शिक्षक बैठक विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है।
- v. **शैक्षणिक योजना और समर्थन :** एस.एम.सी. के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय समग्र शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्हें यह निगरानी करनी होगी कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएँ, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करें और अभिभावकों से बच्चों की प्रगति साझा करें। समिति शिक्षक कमी के समाधान और शिक्षकों को मुख्यतः शैक्षणिक कार्यों में संलग्न रखने के लिए आवश्यक कदमों में सहयोग करेगी।

एस.एम.सी. को शिक्षकों का समर्थन करना चाहिए, जैसे विद्यालय कैलेंडर तैयार करने, कक्षाओं की गतिविधियों का अवलोकन करने और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को मजबूत करने

तथा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों (Learning Outcomes – LOs) में सुधार लाने के लिए सीखने के अंतर (learning gaps) की पहचान करने में। यदि कोई शिक्षक बार-बार अनुपस्थित रहता है तो एस.एम.सी. को संबंधित प्राधिकरणों को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि अधिगम में निरंतरता प्रभावित न हो। सीखने को अधिक रोचक, प्रासंगिक और समुदाय से जुड़ा बनाने तथा बस्ता रहित दिवसों (bagless days) को समृद्ध करने के लिए एस.एम.सी. को निम्नलिखित पहल में सहयोग करना चाहिए :

- **समुदाय-आधारित शिक्षण कार्यक्रमों** का आयोजन जैसे विज्ञान मेले, धरोहर यात्रा, पर्यावरण अभियान आदि, ताकि अनुभवात्मक अधिगम (experiential learning) को बढ़ावा दिया जा सके।
- **सामुदायिक मुद्दों पर परियोजना-आधारित अधिगम (project-based learning)** को प्रोत्साहित करना, जैसे जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, सतत खेती, जिससे कक्षा ज्ञान को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जोड़ा जा सके।
- **स्थानीय व्यवसायों और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास की माँग उठाना**, ताकि प्रासंगिक कौशल को पाठ्यक्रम में समाहित किया जा सके और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इंटरशिप या अप्रेंटिसशिप जैसी अवसरों के माध्यम से कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

vi. **आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग** : विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन² के अंतर्गत आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामुदायिक एवं अभिभावकीय सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समिति प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देगी, स्थानीय भाषा में पठन को प्रोत्साहित करने हेतु रीडिंग कॉर्नर की स्थापना का समर्थन करेगी, कहानी-वाचन सत्रों तथा अभिभावक-नेतृत्व वाले पठन क्लबों का आयोजन प्रोत्साहित करेगी। एस.एम.सी. शिक्षकों एवं सामुदायिक स्वयंसेवकों के सहयोग से बहुभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास को भी सुगम बनाएगी। विद्यालय को 'निपुण' बनाने के लिए समिति समयबद्ध एवं केंद्रित प्रयासों का समर्थन करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी विद्यार्थी कक्षा के स्तरानुसार FLN दक्षताएँ प्राप्त करें। स्थानीय युवा स्वयंसेवक, शिक्षकों के सहयोग से समय-समय पर सामुदायिक अधिगम उत्सव, पठन अभियान अथवा अन्य समान पहलें आयोजित कर सकते हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों की आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता में प्रगति का आकलन, सुदृढ़ीकरण तथा उत्सव के माध्यम से प्रोत्साहन करना होगा। एस.एम.सी. आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं प्राथमिक शिक्षकों के मध्य संयुक्त योजना एवं गतिविधियों को बढ़ावा देगी,

² निपुण भारत (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2026–27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) प्राप्त कराना है। इस मिशन का लक्ष्य आधारभूत स्तर पर पठन, लेखन एवं संख्यात्मकता में कक्षा-स्तरीय दक्षताओं की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। इस संबंध में दिशा-निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं—
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nipun_bharat_eng1.pdf

ताकि आनंददायक, खेल-आधारित प्रारंभिक अधिगम सुनिश्चित हो सके तथा आँगनवाड़ी से विद्यालय तक सुगम संक्रमण स्थापित (transition) किया जा सके। समिति स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों एवं वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से पारंपरिक ज्ञान, लोककला एवं स्थानीय विरासत को विद्यालयी गतिविधियों में समाहित करने के लिए भी प्रयास करेगी। स्थानीय गीतों, कविताओं, हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्सवों का उपयोग विद्यार्थियों में कौशल विकास तथा सांस्कृतिक जुड़ाव को सुदृढ़ करेगी। अभिभावकीय एवं सामुदायिक सहभागिता संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश निपुण भारत कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (2021) के अध्याय 14 में उपलब्ध हैं।

vii. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) एवं स्वास्थ्य पहलें** : विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे। इसके अंतर्गत कार्यक्रम के दैनिक संचालन पर निगरानी रखी जाएगी तथा भोजन परोसने से पूर्व शिक्षकों के साथ क्रमवार आधार पर भोजन का स्वाद चखकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। एस.एम.सी. बैठकों में 'तिथि भोजन' की अवधारणा एवं उसके महत्व पर चर्चा की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार हेतु अतिरिक्त भोजन के महत्व को रेखांकित किया जा सके। तिथि भोजन सामुदायिक सहभागिता पर आधारित एक पहल है, जो भारतीय परंपरा में लोगों को भोजन कराने की प्रथा पर आधारित है। इस पहल के अंतर्गत समुदाय के सदस्य विशेष अवसरों/त्योहारों जैसे जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, विवाह समारोह, विभिन्न त्योहारों तथा राष्ट्रीय महत्व के दिवसों आदि पर विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषक एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री अथवा पूर्ण भोजन उपलब्ध कराते हैं। अभिभावकों एवं समुदाय के सदस्यों को स्थानीय भोजन-सूची में विविधताओं को शामिल करने तथा विद्यार्थियों, एस.एम.सी. सदस्यों एवं सामुदायिक स्वयंसेवकों के श्रमदान के माध्यम से विद्यालय पोषण (किचन) उद्यानों के विकास एवं रख-रखाव से संबंधित विचार-विमर्श में भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एस.एम.सी. स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता संबंधी सत्र तथा पोषण जागरूकता गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित कर सकती है।

viii. **अवसंरचना एवं सुविधाओं की निगरानी** : समुदाय के सदस्यों एवं स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य विभिन्न शैक्षिक पहलों में सक्रिय योगदान दे सकते हैं। इनमें बिल्डिंग ऐज लर्निंग एंड (BaLA) कार्यक्रम का कार्यान्वयन, डिजिटल अधिगम उपकरणों का प्रोत्साहन, विज्ञान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs), एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित) प्रयोगशालाओं का विकास, विद्यालय में खेल कक्ष एवं खेल सामग्री की उपलब्धता, पुस्तकालय की सुदृढ़ व्यवस्था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप गतिविधि-आधारित अधिगम स्थलों का विकास सम्मिलित है। समिति विद्यालय परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमित रख-रखाव एवं आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करते हुए बाल-अनुकूल अधिगम वातावरण के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करेगी। पेयजल, शौचालय, चारदीवारी, पहुँच मार्ग, रैंप आदि आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं रख-रखाव अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जा सकता है।

- ix. **वित्तीय प्रबंधन** : विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय के बजट की समीक्षा करेगी, ताकि निधियों का समुचित एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें वित्तीय संसाधनों की सुरक्षित अभिरक्षा, व्यय पर उपयुक्त नियंत्रण, निर्धारित व्यक्तियों/संस्थाओं को समय पर भुगतान तथा वित्तीय अभिलेखों का सटीक एवं सुव्यवस्थित संधारण शामिल होगा। समिति विद्यालय की वार्षिक प्राप्ति एवं व्यय विवरण (Annual Statement of Receipts and Expenditures) तैयार करने में सहयोग करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो। एस.एम.सी. सदस्य आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करने में सक्रिय योगदान देंगे तथा आवश्यक औचित्य सहित नए व्यय मदों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति को प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रमुख को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से परे भी वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसे सभी निर्णय स्वीकृत बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत हों।
- x. **सामाजिक लेखा परीक्षण एवं अनुश्रवण में सहयोग** : विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य विद्यालयी गतिविधियों तथा समग्र शिक्षा जैसी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में विद्यालय के विकास को सुदृढ़ करने, विद्यार्थियों के नामांकन एवं निरंतर उपस्थिति (Retention) में वृद्धि करने तथा ड्रॉप-आउट दर को कम करने हेतु प्रभावी योजना निर्माण, प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना शामिल है। सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit) की प्रक्रिया के दौरान एस.एम.सी. सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम सभा बैठकों एवं जन-सुनवाईयों में सक्रिय रूप से भाग लें तथा लेखा परीक्षण में प्राप्त निष्कर्षों/आपत्तियों पर विद्यालय स्तर पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- xi. **सामुदायिक सहभागिता एवं संसाधन संकलन** : विद्यालय प्रबंधन समिति सामुदायिक सहभागिता एवं रणनीतिक संसाधन संकलन को प्रोत्साहित करते हुए विद्यालय रूपांतरण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगी। इस उद्देश्य से समिति अभिभावकों, पूर्व विद्यार्थियों (Alumni), स्वयंसेवकों, कॉर्पोरेट संस्थाओं तथा स्थानीय संगठनों को समय, विशेषज्ञता एवं संसाधनों के योगदान हेतु सक्रिय रूप से संलग्न करेगी। संसाधन संकलन के अंतर्गत एस.एम.सी. स्थानीय कंपनियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधियों की संभावनाओं का अन्वेषण एवं उपयोग करेगी, ताकि विद्यालयी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता संवर्धन पहलों तथा शैक्षणिक एवं शैक्षणिक-पद्धति (Pedagogical) सहयोग को समर्थन प्रदान किया जा सके। एस.एम.सी. नागरिक समाज संगठनों (CSOs) एवं सामुदायिक नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालयों में संचालित इन पहलों की औपचारिक निगरानी एवं प्रतिवेदन (Monitoring and Reporting) सुनिश्चित करेगी, जिससे सभी सहभागियों के लिए दीर्घकालिक प्रभाव एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। समुदाय को ULLAS³ – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निरक्षरों की पहचान एवं साक्षरता हेतु स्वयंसेवकों के संकलन के लिए

³ ULLAS भारत का प्रमुख (Flagship) कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को क्रियात्मक साक्षरता, संख्यात्मकता, डिजिटल साक्षरता तथा जीवन कौशल प्रदान करना है, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप स्वयंसेवक-आधारित तथा मिश्रित (ऑनलाइन/ऑफलाइन) मॉडल पर आधारित है, जिसका लक्ष्य नागरिकों को सशक्त बनाना एवं देशव्यापी अधिगम आंदोलन को प्रोत्साहित करना है।

प्रेरित किया जाएगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया जा सके।

स्थानीय निवासी, पूर्व विद्यार्थी एवं सेवानिवृत्त पेशेवर **विद्यांजलि**⁴ पहल के अंतर्गत **मार्गदर्शक एवं स्वयंसेवक** के रूप में विद्यालयों में सक्रिय योगदान दे सकते हैं तथा विद्यार्थियों को अनुभव-आधारित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। एस.एम.सी., शिक्षा मंत्रालय की **विद्यांजलि पहल** (<https://vidyanjali.education.gov.in>) में सहभागिता हेतु सामुदायिक जागरूकता एवं प्रेरणा सुनिश्चित करेगी, जिससे स्वयंसेवा एवं सामुदायिक सहयोग की सतत संस्कृति विकसित हो तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अधिगम अनुभवों को समृद्ध किया जा सके।

- xii. **विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं कल्याण सुनिश्चित करना** : विद्यालय प्रबंधन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विद्यालय सभी बच्चों के लिए सुरक्षित, समावेशी एवं बाल-अनुकूल वातावरण प्रदान करे। समिति बच्चों के अधिकारों का कड़ाई से संरक्षण करेगी तथा शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, भेदभाव अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विद्यालय परिसर में विद्यालय सेफ्टी प्लेज, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) तथा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

एस.एम.सी. सदस्य विद्यालय प्राधिकरण, शिक्षकों एवं अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा योजना (School Safety and Security Plan) के निर्माण एवं पुनरावलोकन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। एंटी-बुलिंग एवं बाल यौन शोषण (CSA) शिकायत समितियों के निर्णयों पर एस.एम.सी. बैठकों में चर्चा की जाएगी। एस.एम.सी. सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठित विद्यालय सुरक्षा समिति प्रत्येक तिमाही में विद्यालय परिसर का 'सुरक्षा निरीक्षण भ्रमण (Safety Walk)' करेगी तथा सभी सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी।

एस.एम.सी. विद्यार्थियों के मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण को भी प्रोत्साहित करेगी, जिसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्मानजनक एवं सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित करना, बाल संरक्षण एवं एंटी-बुलिंग नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा विशेष रूप



से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) एवं अन्य संवेदनशील पृष्ठभूमि से आने

⁴ विद्यांजलि एक समर्पित डिजिटल मंच है, जो सरकारी एवं सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों को स्वैच्छिक सेवाएँ, परिसंपत्तियाँ (Assets), कॉर्पोरेट/सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सहयोग तथा जन-सामान्य से प्राप्त दान को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित रूप में प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

वाले विद्यार्थियों के लिए परामर्श एवं मनोसामाजिक सहयोग की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। समिति समुदाय एवं विद्यालय के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक बच्चे के सुरक्षित एवं पोषणकारी वातावरण के अधिकार की रक्षा करेगी। प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, अशांति या अन्य आपात स्थितियों के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में एस.एम.सी., शिक्षा मंत्रालय की 'विद्यालय बंदी के दौरान एवं उसके पश्चात घर-आधारित अधिगम में अभिभावक सहभागिता संबंधी दिशा-निर्देशों' के संदर्भ में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सहयोग प्रदान कर सकती है।

- xiii. **विद्यालय अवसंरचना सुरक्षा एवं आपदा तैयारी :** विद्यालय की समग्र सुरक्षा एवं संरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति अवसंरचना सुरक्षा एवं आपदा तैयारी की निगरानी करेगी। समिति नियमित रूप से विद्यालय भवन, कक्षाओं, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं, विद्युत संयोजनों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी, ताकि उनकी सुरक्षा, स्वच्छता एवं कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। समिति यह भी सत्यापित करेगी कि विद्यालय में एक कार्यशील आपदा प्रबंधन योजना (Disaster Management Plan) उपलब्ध हो। साथ ही, सुरक्षा एवं आपातकालीन निकासी अभ्यास (Safety and Evacuation Drills) वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित किए जाएँ, ताकि विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार किया जा सके।
- xiv. **छात्रावास प्रबंधन :** जिन विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs)/नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास (NSCB Hostels)/अन्य विभागों के छात्रावास (जैसे PM JANMAN, DAJGUA आदि) विद्यालय से संबद्ध हों अथवा उसी परिसर में स्थित हों, वहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति इन छात्रावासों की स्थिति एवं गतिविधियों की नियमित निगरानी करेगी। इसमें छात्रावासों के समुचित रख-रखाव, स्वच्छता, सुरक्षा, बाल-अनुकूल सुविधाओं की उपलब्धता तथा निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना शामिल होगा। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के समग्र कल्याण, सुरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सभी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन हो।
- xv. **पर्यावरणीय एवं हरित पहलों को प्रोत्साहन :** विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालयों में सतत विकास एवं हरित प्रथाओं को बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, पोषण (किचन) उद्यान की स्थापना एवं नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करना, अपशिष्ट पृथक्करण (Waste Segregation) की व्यवस्था लागू करना तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल होगा। समिति मिशन LiFE जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) पहलों को अपनाने हेतु विद्यालय समुदाय को प्रेरित करेगी, जिससे विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता, उत्तरदायित्व एवं सतत जीवनशैली के मूल्यों का विकास हो सके।

आवश्यकतानुसार उपर्युक्त भूमिकाएँ एवं दायित्व विभिन्न उप-समितियों को आवंटित किए जा सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुछ अन्य अतिरिक्त दायित्व **परिशिष्ट-I** में उल्लिखित हैं।

4. विद्यालय विकास योजना (School Development Plan – एस.डी.पी.)

विद्यालय द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) तैयार की जानी चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में सुधार, बजट के प्रभावी प्रबंधन तथा आधारभूत (Foundational), प्रारंभिक (Preparatory), माध्यमिक (Middle) एवं उच्च माध्यमिक (Secondary) स्तरों पर आवश्यक सुविधाओं एवं अवसंरचना के सुदृढीकरण पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यालय विकास योजना समग्र गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से स्पष्ट लक्ष्य, समयबद्ध कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ तैयार की जानी चाहिए।

- i. विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का समेकित दस्तावेज है, जो विद्यालय की अवसंरचना योजना तथा उसके अधिगम प्रक्रियाओं में प्रभावी उपयोग का मार्गदर्शन करता है। यह विद्यालय की शैक्षिक दृष्टि (Educational Vision) एवं उसे प्राप्त करने की रणनीतियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। एस.डी.पी. विद्यालय के शैक्षिक विकास एवं अवसंरचना कार्यों के लिए एक आधारभूत एवं व्यापक मास्टर प्लान के रूप में कार्य करता है, जिसमें चरणबद्ध विकास (Phased Development) का प्रावधान शामिल होता है। योजना निर्माण को एक एकमात्र गतिविधि के रूप में न देखकर सतत एवं विकसित होने वाली प्रक्रिया (Evolving Process) के रूप में देखा जाना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा तैयार की गई एस.डी.पी. में यह स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए कि विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएँ, जैसे बाधा-रहित (Barrier-Free) अवसंरचना, अपेक्षित शैक्षिक एवं सहायक संसाधनों की उपलब्धता तथा विद्यालय के प्रदर्शन में सुधार एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ किस प्रकार सुनिश्चित की जाएँगी।
- ii. शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य अधिगम परिणामों में सुधार तथा शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को सुदृढ करना होगा। इन गतिविधियों में आधारभूत अधिगम (Foundational Learning), दक्षता-आधारित शिक्षा (Competency-Based Education) तथा शिक्षार्थियों के समग्र विकास (Holistic Development) पर विशेष बल दिया जाएगा। उक्त सभी गतिविधियाँ विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) में समुचित रूप से समाहित की जाएँ तथा निपुण भारत मिशन, कौशल शिक्षा पहलों एवं '10 बैगलेस डेज' जैसी पहलों के लक्ष्यों के अनुरूप संचालित हों, जिससे एक समग्र एवं समन्वित अधिगम पारितंत्र (Comprehensive Learning Ecosystem) का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
- iii. विद्यालय प्रबंधन समिति पूर्ववर्ती एस.डी.पी. की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसकी उपलब्धियों एवं परिणामों का आकलन तथा आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करते हुए तीन माह के भीतर

विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) एक रणनीतिक योजना दस्तावेज है, जो तीन वर्षों की अवधि में विद्यालय की समस्त गतिविधियों को समाहित करता है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज (Roadmap) के रूप में कार्य करता है, जिसमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों के स्तर में सुधार हेतु आवश्यक परिवर्तनों का स्पष्ट उल्लेख होता है तथा यह दर्शाता है कि ये परिवर्तन कैसे और किस समय-सीमा में क्रियान्वित किए जाएँगे।

नई विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) तैयार करेगी। एस.डी.पी. तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक वार्षिक उप-योजनाएँ (Annual Sub-Plans) सम्मिलित होंगी।

एस.डी.पी. में निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाएँगे—

- (क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का अनुमान।
 - (ख) निर्धारित मानकों के संदर्भ में, तीन वर्षीय अवधि के दौरान सभी शैक्षिक स्तरों के लिए आवश्यक अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या का आकलन, जिसमें प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक, विषय शिक्षक तथा अंशकालिक शिक्षक अलग-अलग दर्शाए जाएँ।
 - (ग) निर्धारित मानकों एवं मापदंडों के अनुरूप, तीन वर्षों की अवधि में अतिरिक्त अवसंरचना एवं उपकरणों की भौतिक आवश्यकता का विवरण।
 - (घ) उपर्युक्त बिंदुओं (ख) एवं (ग) के संबंध में वर्ष-वार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण, जिसमें विशेष प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था, विद्यार्थियों के अधिकारों/अधिकारित सुविधाओं (जैसे— निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दी) की पूर्ति तथा विद्यालय की जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु अन्य अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएँ शामिल हों।
- iv. विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे तथा इसे जिस वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाना है, उसके समाप्त होने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- v. सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समस्त विद्यालयों/विद्यालय समूहों की एस.डी.पी. सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाएगी। एस.एम.सी. विद्यालय के कार्य-निष्पादन एवं दिशा-निर्देशन की निगरानी हेतु एस.डी.पी. का उपयोग करेगी तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी। एस.डी.पी. के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत **परिशिष्ट-II** में संलग्न हैं।
- vi. प्रत्येक वर्ष के उप-योजनाओं (Sub-Plans) की वार्षिक समीक्षा मार्च माह के अंत तक की जानी चाहिए।



विद्यालय विकास योजना (School Development Plan) बनाने के चरण

5. बैठकें एवं प्रक्रियाएँ

विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रभावी संचालन के लिए नियमित एवं सुव्यवस्थित बैठकें अत्यंत आवश्यक हैं। बैठकें प्रत्येक माह कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। किसी भी निर्णय की वैधता के लिए समिति के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) आवश्यक होगी।

प्रत्येक विद्यालय राज्य, जिला या खंड स्तर के प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों अथवा संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप बैठकें आयोजित करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सदस्यों को समय पर सूचना प्राप्त हो तथा वे पूर्ण रूप से भागीदारी कर सकें। बैठकें विद्यालय की प्रगति की समीक्षा एवं चुनौतियों के समाधान हेतु एक खुला मंच प्रदान करेंगी।

सभी बैठकों की कार्यवाही (Minutes) का समुचित अभिलेखन किया जाएगा, जिसे समिति सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट्ट पर अथवा उपलब्ध होने पर डिजिटल माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने, अभिभावक सहभागिता बढ़ाने एवं विद्यालय सुधार हेतु सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) को एस.एम.सी. की कार्यप्रणाली में समेकित किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय में सुझाव पेटिका अथवा प्रतिक्रिया पंजी (Feedback Register) रखी जाएगी, जिससे विद्यालय के संचालन, शिक्षण-अधिगम सामग्री की गुणवत्ता तथा बाल सुरक्षा से संबंधित सामुदायिक सुझाव प्राप्त किए जा सकें। एस.एम.सी. इन प्रतिक्रियाओं की त्रैमासिक समीक्षा करेगी तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को बैठक की कार्यवाही में सम्मिलित करेगी।

6. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

- विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति एवं शैक्षणिक उपलब्धि जैसे क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने तथा शासन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं स्थानीय हितधारक-नेतृत्व वाली पहलों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबंधन समिति की क्षमता का व्यवस्थित रूप से विकास किया जाना आवश्यक है। एस.एम.सी. की प्रभावी कार्यप्रणाली उसके सदस्यों के ज्ञान, प्रेरणा एवं कौशल पर निर्भर करती है। अतः नियमित क्षमता निर्माण गतिविधियाँ एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने अनिवार्य हैं।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन अथवा पुनर्गठन के एक माह के भीतर सभी सदस्यों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ये कार्यक्रम यथासंभव स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय भाषा में आयोजित किए जाएँ।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत विषयों को समाहित कर सकती है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हों—

- समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने से संबंधित प्रावधान
- विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) का निर्माण एवं क्रियान्वयन
- शैक्षणिक अनुश्रवण एवं विद्यालय प्रदर्शन में सुधार

- (घ) वित्तीय प्रबंधन एवं सामाजिक लेखा परीक्षण
 - (ङ) समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएँ एवं व्यवहार
 - (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में उल्लिखित प्रमुख प्राथमिकताएँ
 - (छ) डिजिटल साक्षरता एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग
 - (ज) विद्यालय सुरक्षा एवं विद्यार्थियों का समग्र कल्याण
- iii. समिति सदस्यों का अभिमुखीकरण यथासंभव प्रत्यक्ष (Physical Mode) में आयोजित किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार बाद में इसे मिश्रित पद्धति (Blended Mode) अर्थात् ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भी संचालित किया जा सकता है। स्थानीय संदर्भों की बेहतर समझ रखने वाले विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों को प्रशिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की सफल पूर्णता पर प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- iv. राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय डिजिटल मंचों, जैसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (NISHTHA), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) तथा उल्लास (ULLAS) का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन मंचों के माध्यम से स्वयंसेवा, साक्षरता गतिविधियाँ, मिश्रित अधिगम मॉड्यूल, पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Refresher Trainings) एवं सहकर्मी अधिगम (Peer Learning) के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उपलब्ध मॉड्यूल का राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आवश्यकतानुसार अद्यतन/संशोधन कर उपयोग किया जा सकता है। वार्षिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एस.एम.सी. सदस्यों के मध्य सहकर्मी-अधिगम अथवा मेंटॉरिंग सत्रों का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें अनुभवी सदस्य नवगठित समितियों के साथ श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करें।

7. वित्तीय प्रबंधन एवं सामाजिक लेखा परीक्षण

- i. पारदर्शी एवं जवाबदेह वित्तीय प्रबंधन एस.एम.सी. की मूलभूत जिम्मेदारी है। एस.एम.सी. के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त सभी निधियाँ अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त नाम से संचालित पृथक बैंक खाते में रखी जाएँगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक विद्यालय खातों के समुचित संधारण एवं संबंधित अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।
- ii. ₹30.00 लाख तक की लागत वाले सभी सिविल कार्य एस.एम.सी. द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में पारदर्शी योजना निर्माण, क्रय (Procurement) एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए समुचित लेखा अभिलेख संधारित किए जाएँ। क्रय प्रक्रिया में एस.एम.सी. के माध्यम से समुदाय की सहभागिता से हितधारकों में स्वामित्व की भावना विकसित होती है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- iii. ₹30.00 लाख से अधिक लागत वाले सिविल कार्य नवीनतम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) कार्य मैनुअल या राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) की प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार सार्वजनिक निविदा आमंत्रित कर निष्पादित किए जाएँ। एस.एम.सी. निविदा अंतिमकरण एवं परियोजना क्रियान्वयन के सभी चरणों में सहभागिता कर पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित कर सकती है।

- iv. एस.एम.सी. सदस्य विद्यालय में किए गए रख-रखाव एवं मरम्मत कार्यों का प्रमाणीकरण कर सकते हैं, जिनमें आवश्यक तकनीकी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। लागत से संबंधित जानकारी प्राप्त करना समुदाय का अधिकार है, जिसका पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। विद्यालय/समिति स्तर पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं का सांकेतिक सूची **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।
- v. एक पृथक नकद पुस्तिका (Cash Book), बैंक पासबुक एवं क्रय-संबंधी अभिलेख संधारित किए जाएँ। सभी वित्तीय लेन-देन नकद पुस्तिका में विधिवत अंकित किए जाएँ।
- vi. मासिक बैंक सामंजस्य (Bank Reconciliation) किया जाए तथा हस्ताक्षरित विवरण रजिस्टर में अथवा नकद पुस्तिका के भाग के रूप में सुरक्षित रखे जाएँ। वाउचरों के लिए पृथक फाइल संधारित की जाए, जो नकद पुस्तिका से क्रमांकित एवं संबद्ध हो।
- vii. स्टॉक रजिस्टर एवं स्थायी संपत्ति रजिस्टर (Fixed Asset Register) का संधारण एवं अद्यतन एस.एम.सी. द्वारा किया जाए। इनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।
- viii. विद्यालय निधि का आंतरिक/विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी समय लेखा परीक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करना एस.एम.सी. की जिम्मेदारी होगी; अन्यथा आगामी अनुदान स्वीकृत नहीं किए जाएँगे।
- ix. लेखा परीक्षण के दौरान सभी अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ। तैयार किए गए लेखों पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संयोजक/सदस्य सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे तथा तैयारी के एक माह के भीतर उन्हें स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए अथवा विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।
- x. विद्यालय अवसंरचना हेतु आवंटित अनुदान, समग्र विद्यालय अनुदान (Composite School Grant) तथा विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी एवं छात्रवृत्तियों जैसे अधिकारित संसाधनों हेतु प्राप्त अनुदानों का उपयोग एस.एम.सी. के सहयोग से समग्र शिक्षा योजना के स्वीकृत मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा।
- xi. पारदर्शिता सुदृढ़ करने के लिए एस.एम.सी. **आय-व्यय के डिजिटल अभिलेखों** का संधारण वरीयता से कर सकती है। वित्तीय अभिलेख, बैठक कार्यवृत्त एवं लेखा परीक्षण सारांश विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
- xii. पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रत्येक **शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit)** आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी 'समग्र शिक्षा योजना के सामाजिक लेखा परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश' के अनुरूप संपादित की जानी चाहिए।

उक्त दिशा-निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं—

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Guidelines_for_Social_Audit_of_Samagra_Shiksha_scheme.pdf

8. मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण (Convergence) के माध्यम से संसाधनों का उपयोग

विद्यालय प्रबंधन समिति संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से अन्य सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालयी गतिविधियों की योजना बना सकती है एवं उनका क्रियान्वयन कर सकती है। यह अभिसरण संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन, विद्यालयी अवसंरचना, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास एवं सामुदायिक पहलों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। संबंधित विभागों एवं संभावित गतिविधियों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित है—

i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :

- (क) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SHP) का क्रियान्वयन, जिसमें शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर के रूप में सहयोग प्रदान करना।
- (ख) मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS) के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना— स्वच्छता उत्पादों एवं उनके सुरक्षित निपटान की सुविधाएँ सुनिश्चित करना।
- (ग) स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों के सहयोग से वार्षिक स्वास्थ्य, फिटनेस एवं पोषण शिविरों का आयोजन।
- (घ) 'तंबाकू-मुक्त शैक्षणिक संस्थान' दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- (ङ) कृमिनाशन (De-worming) एवं सूक्ष्म-पोषक तत्व अनुपूरण (Micronutrient Supplementation) सहित विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन, विशेषकर किशोरावस्था की ओर अग्रसर बालिकाओं एवं अन्य संवेदनशील समूहों पर विशेष ध्यान के साथ।

ii. **ग्रामीण विकास विभाग :** विद्यालय अवसंरचना संबंधी निर्माण आवश्यकताओं एवं बिलडिंग ऐज लर्निंग एंड (BaLA) सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु विकसित भारत— रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग में सहयोग।

iii. **शहरी विकास विभाग :** एस.एम.सी., AMRUT⁵ तथा स्वच्छ भारत मिशन (SBM⁶) जैसी योजनाओं के अंतर्गत नगर निगमों एवं नगर पंचायतों जैसे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकती है।

iv. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

- (क) स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय एवं हाथ धोने के स्टेशनों का रख-रखाव सुनिश्चित करना।

⁵ अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, हरित क्षेत्र (ग्रीन स्पेस), शौचालय सुविधाएँ, खेल मैदान तथा बेहतर परिवहन संपर्क जैसी आवश्यक आधारभूत अवसंरचनाएँ उपलब्ध कराते हैं।

⁶ स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के अंतर्गत वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के माध्यम से विद्यालय परिसरों को "कचरा-मुक्त" (Garbage-Free) बनाने को बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में ग्रे-वॉटर एवं ब्लैक-वॉटर के प्रभावी प्रबंधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

(ख) मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता तथा सुरक्षित निपटान प्रथाओं को बढ़ावा देना।

(ग) जल जीवन मिशन (JJM) के तहत विद्यालयों में सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल सुविधाएँ सुनिश्चित करना।

v. **महिला एवं बाल विकास विभाग**

(क) बाल संरक्षण सेवाओं (CPS) के माध्यम से सुरक्षित स्थान एवं संदर्भ (रेफरल) प्रणाली विकसित करना।

(ख) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों को आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकार प्राप्त हों।

(ग) आँगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना।

vi. **कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग**

(क) कौशल विकास गतिविधियों के लिए समन्वय स्थापित करना।

(ख) स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को उपयुक्त करियर मार्गदर्शन प्रदान करना।

vii. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

(क) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS) का उपयोग करना।

(ख) प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM-YASASVI) के अंतर्गत पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) विद्यार्थियों की पहचान कर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन में सहयोग करना।

(ग) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों को समर्थन देना।

(घ) नशा मुक्त विद्यालय सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना।

viii. **युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग**

(क) 'खेलो इंडिया' पहल के अंतर्गत विद्यालय-स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(ख) खेलों के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से खेल अवसंरचना को उन्नत करना।

(ग) रचनात्मकता एवं टीमवर्क को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता में सहभागिता प्रोत्साहित करना।

(घ) विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक खेल सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित करना।

(ङ) विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों एवं विशेषज्ञों का सहयोग लेना तथा योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था करना।

ix. विधि एवं न्याय विभाग

- (क) पोक्सो अधिनियम सहित बाल संरक्षण कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- (ख) विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं कर्मचारियों के लिए विधिक साक्षरता सत्र आयोजित करना।
- (ग) बुलिंग, दुर्व्यवहार एवं शारीरिक दंड की शिकायतों हेतु स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना।

x. गृह मंत्रालय

- (क) बाल संरक्षण कानूनों के प्रवर्तन हेतु स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करना।
- (ख) सुरक्षा ऑडिट एवं आपदा/आपातकालीन तैयारी अभ्यास (ड्रिल) आयोजित करना।
- (ग) पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत घटनाओं से निपटने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

xi. पंचायती राज विभाग

- (क) विद्यालय सुधार परियोजनाओं हेतु सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रेरित एवं संगठित करना।
- (ख) ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्यालय-समुदाय सहभागिता को सुदृढ़ करना।
- (ग) पंचायती राज संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधनों का विद्यालय/संस्था के लिए समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- (घ) तिथि भोज का आयोजन करना।

9. विद्यालय प्रबंधन समिति की निगरानी एवं सहयोग

एस.एम.सी. की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निगरानी एवं सहयोग की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। ब्लॉक एवं जिला शिक्षा अधिकारी वर्ष में कम से कम दो बार सरल जाँच-सूचियों (चेकलिस्ट) के माध्यम से एस.एम.सी. के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करें। दंडात्मक उपायों के स्थान पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Supportive Supervision) तथा निकटवर्ती विद्यालयों के बीच सह-अध्ययन (Peer Learning) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि कार्य-निष्पादन में सुधार हो सके। एस.एम.सी. की कार्यप्रणाली के आकलन हेतु बैठक रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर सरल प्रदर्शन संकेतकों सहित एक चेकलिस्ट संलग्न की जानी चाहिए, जैसे-आयोजित बैठकों की संख्या, उपस्थिति प्रतिशत, लिए गए निर्णयों की संख्या, निधियों का उपयोग आदि इन संकेतकों का वार्षिक आधार पर अनुश्रवण (ट्रैकिंग) किया जा सकता है। जब भौतिक बैठकें संभव न हों, तब विद्यालय व्हाट्सएप या गूगल मीट जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए एस.एम.सी. की बैठकें वर्चुअल या हाइब्रिड मोड में आयोजित कर सकते हैं। एस.एम.सी. मासिक बैठकों में सुझाव/प्रतिक्रिया पेटी (फीडबैक बॉक्स) से प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा कर सकती है। निर्वाचन प्रक्रिया या कार्य-प्रणाली से संबंधित विवादों का समाधान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) या किसी अन्य नामित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

10. निष्कर्ष

विद्यालयों को सजीव एवं सशक्त शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरित करने के लिए सामूहिक स्वामित्व की आवश्यकता है, जिसमें एस.एम.सी. समुदाय की भागीदारी का प्रमुख संस्थागत मंच है। सामुदायिक सहभागिता केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक समर्थन तक सीमित न रहकर संरचित, सतत एवं प्रणालीगत

होनी चाहिए। अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी (Alumni), स्थानीय निकाय, नागरिक समाज संगठन (CSOs), कॉरपोरेट क्षेत्र तथा नागरिक— सभी एस.एम.सी. के माध्यम से समन्वित रूप में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में योगदान दे सकते हैं।

विद्यालयों को सशक्त बनाने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है कि शिक्षा को केवल सरकार की



जिम्मेदारी न मानकर, समाज के साझा दायित्व के रूप में स्वीकार किया जाए। विद्यालयों को सामुदायिक संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए—एसे समावेशी एवं पोषणकारी स्थल, जो सभी के हैं। एस.एम.सी. के माध्यम से प्रत्येक हितधारक-अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, स्थानीय प्रतिनिधि, स्वयंसेवक एवं निजी भागीदार— नई पीढ़ी के निर्माण में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। जब समुदाय एस.एम.सी. के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा के संरक्षक (Custodians) के रूप में कार्य करता है, तब सुधार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, उत्तरदायी एवं सतत बनते हैं।

देशभर के विद्यालय करोड़ों विद्यार्थियों को अवसर, गरिमा एवं समानता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एस.एम.सी. के नेतृत्व में स्वैच्छिक सेवाओं, मार्गदर्शन (Mentoring), नवाचार, संसाधन संकलन तथा सहभागितापूर्ण शासन (Participatory Governance) के माध्यम से समुदाय इन संस्थानों को और अधिक सशक्त बना सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के “सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए तथा एस.एम.सी. के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व को सुदृढ़ करते हुए, भारत अपने विद्यालयों को समावेशी, गतिशील एवं राष्ट्र-निर्माण के सशक्त केंद्रों में परिवर्तित कर सकता है।

खंड-3 में उल्लिखित विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिकाओं एवं दायित्वों के अतिरिक्त, एस.एम.सी. निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन या निगरानी भी कर सकती है—

- ◆ स्वच्छ, सुरक्षित, सौंदर्यपूर्ण, पोषणकारी एवं नैतिक वातावरण उपलब्ध कराना।
- ◆ दैनिक दिनचर्या जैसे प्रार्थना सभा आदि का नियमित पालन सुनिश्चित करना।
- ◆ कमजोर एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाएँ (Remedial Classes) तथा अध्ययन के उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ◆ शिक्षण में स्थानीय/क्षेत्र-विशिष्ट (Contextual) नवाचारों को प्रोत्साहित एवं सुगम बनाना।
- ◆ शिक्षण-अधिगम संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोग में सहयोग देना।
- ◆ भारतीय परंपराओं पर आधारित प्रदर्शनों एवं गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- ◆ स्वच्छता, समावेशन, सम्मान, अनुशासन एवं सहानुभूति जैसे मूल्यों को दैनिक व्यवहार में अपनाना सुनिश्चित करना।
- ◆ अभिभावक-शिक्षक-समुदाय संवाद की नियमित व्यवस्था में सहयोग करना।
- ◆ शिक्षकों की व्यावसायिक गरिमा की रक्षा करना।
- ◆ सामुदायिक सहयोग के माध्यम से शिक्षकों को समर्थन प्रदान करना।
- ◆ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों (First-Generation Learners) के समावेशन को बढ़ावा देना।
- ◆ लैंगिक एवं सामाजिक समानता सुनिश्चित करना।
- ◆ प्रत्येक विद्यार्थी की भावनात्मक सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना।

विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) के विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत

विद्यालय को एक समावेशी, शैक्षणिक रूप से समृद्ध, सतत् (Sustainable) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षित हो तथा हरित भवन मानकों (Green Building Norms) के तत्वों को समाहित करते हुए सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रथाओं के माध्यम से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करे। विद्यालय विकास योजना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

- ◆ अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) योजना, शैक्षिक योजना के अनुरूप हो।
- ◆ बाल-केंद्रित योजना हो, जिसमें बच्चे के समग्र विकास (शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक) को संबोधित किया जाए।
- ◆ विद्यालय में आने वाले सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं उनकी विविधता के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो।
- ◆ संपूर्ण विद्यालय परिसर (भीतर एवं बाहरी क्षेत्र) को विद्यार्थी एवं शिक्षक के लिए सतत अधिगम क्षेत्र (Learning Continuum) के रूप में मान्यता दी जाए तथा योजना बनाते समय सभी हितधारक इसे ध्यान में रखें।
- ◆ 'बाला' (BaLA – Building as Learning Aid) की अवधारणा का उपयोग करते हुए पूरे विद्यालय परिसर को आनंदमय एवं शिक्षण-अधिगम गतिविधियों के संसाधन के रूप में विकसित किया जाए।
- ◆ सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण तथा स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर परिवेश सुनिश्चित किया जाए।
- ◆ पूरे विद्यालय को एक संसाधन के रूप में अधिकतम उपयोग में लाया जाए— न केवल उस विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए, बल्कि समुदाय एवं आसपास के विद्यालयों के लिए भी।
- ◆ स्थानीय संदर्भ एवं परंपराओं — स्थानीय ज्ञान, सामाजिक आवश्यकताएँ, शैक्षिक आवश्यकताएँ, संस्कृति, भूगोल, जलवायु, वनस्पति एवं जीव-जंतु आदि — के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- ◆ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए।
- ◆ पर्यावरणीय रूप से सतत डिजाइन की उत्कृष्ट प्रथाओं को समाहित किया जाए तथा उन्हें प्रदर्शित एवं व्यवहार में लाया जाए।
- ◆ विद्यालय परिसर के समग्र विकास हेतु उपयोगकर्ता-अनुकूल नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए।
- ◆ समग्र योजना, विद्यालय के आवासीय क्षेत्र (Catchment Area) की जनसंख्या प्रवृत्तियों के अनुरूप हो।
- ◆ भविष्य में विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए।

विद्यालयों की योजना, डिजाइन एवं निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यावरण सुदृढीकरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित उपाय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप शामिल किए जाएँ— (i) शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा-निर्देश, 2021 (ii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), 2016 द्वारा जारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश – विद्यालय सुरक्षा नीति (iii) समय-समय पर वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी राज्य एवं स्थानीय उपविधियाँ।

परिशिष्ट - III

विद्यालय/समिति स्तर पर क्रय किए जाने वाले सांकेतिक मदों की सूची—

- ◆ विद्यार्थियों के लिए वर्दी (Uniforms)
- ◆ विद्यालय एवं संलग्न छात्रावास भवनों में सभी प्रकार के सिविल कार्य
- ◆ फर्नीचर
- ◆ शिक्षण-अधिगम सामग्री (Teaching Learning Material – TLM) एवं पुस्तकें
- ◆ विद्यालय अनुदान से विद्यालय सुधार हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य सामग्री
- ◆ अनुरक्षण अनुदान से विद्यालय भवनों का रख-रखाव
- ◆ मरम्मत अनुदान से विद्यालय भवनों की मरम्मत
- ◆ अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (Learning Enhancement Programme – LEP) के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं अन्य सामग्री
- ◆ प्रयोगशाला उपकरण

